

उत्तर प्रदेश शासन  
चिकित्सा अनुभाग-8  
संख्या-4767/पॉच-8-2015-श्री(50)/2015  
लखनऊ : दिनांक : 29 दिसम्बर, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के लेवल-1 (वेतनमान रू0 15,600-39,100 ग्रेड पे रू0-5400) में कार्यरत चिकित्साधिकारियों को लेवल-2 में वरिष्ठ चिकित्साधिकारी (वेतनमान रू0 15,600-39,100 ग्रेड पे रू0-6600) के पद पर प्रोन्नति के संबंध में दिनांक 22.07.2014 को आयोजित विभागीय चयन समिति की बैठक में डा0 योगेश्वर प्रसाद (वरिष्ठता क्रमांक-11586ग1) के संबंध में चयन समिति द्वारा स्थगित श्रेणी में वर्गीकृत किये जाने के कारण उनकी पदोन्नति नहीं हो पायी।


2- डा0 योगेश्वर प्रसाद चिकित्साधिकारी, सामु0 स्वा0 केन्द्र, चोपन जनपद सोनभद्र द्वारा पदोन्नति के संबंध में शासन के समक्ष प्रार्थना-पत्र दिनांक 15.06.2015 प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा उल्लिखित किया गया है कि उनके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित नहीं है। डा0 योगेश्वर प्रसाद की प्रोन्नति के संबंध में दिनांक 14.10.2015 को रिव्यू विभागीय चयन समिति की बैठक आयोजित की गई। चयन समिति द्वारा डा0 योगेश्वर प्रसाद को उनसे आसन्न कनिष्ठ के सापेक्ष नोशनल प्रोन्नति एवं कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित पदोन्नति की संस्तुति की गई है। अतः चयन समिति की संस्तुति के क्रम में डा0 योगेश्वर प्रसाद को उनसे आसन्न कनिष्ठ की प्रोन्नति की तिथि 19.08.2014 से वरिष्ठ चिकित्साधिकारी (वेतनमान रू0 15600-39100 ग्रेड-पे रू0 6600) के पद पर नोशनल प्रोन्नति एवं कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

अरविन्द नारायण मिश्र,  
सचिव।

संख्या-4767(1)/पॉच-8-2015-तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
3. अपर निदेशक(कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
4. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विन्ध्याचल मण्डल, मिर्जापुर।
5. मुख्य चिकित्साधिकारी, सोनभद्र।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, सोनभद्र।
7. डा0 योगेश्वर प्रसाद चिकित्साधिकारी, सामु0 स्वा0 केन्द्र, चोपन, जनपद सोनभद्र द्वारा (मुख्य चिकित्साधिकारी, सोनभद्र) रजिस्टर्ड डाक से।
8. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रकोष्ठ।

आज्ञा से,  
  
( शिवगोपाल सिंह )  
अनु सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन  
चिकित्सा अनुभाग-8  
संख्या- ५७६८ / पाँच-8-2015-रिट(50)/2015  
लखनऊ : दिनांक : 29 दिसम्बर, 2015  
कार्यालय-ज्ञाप

डा० मुंशी लाल(वरिष्ठता क्रमांक-11908क) चिकित्साधिकारी न्यू० प्राथ० स्वा० केन्द्र, फुलेस जनपद आजमगढ़ द्वारा कनिष्ठ के सापेक्ष लेवल-2 के पद पर पदोन्नति करने हेतु मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या-23313/2015, डा० मुंशी लाल बनाम् उ०प्र० राज्य व अन्य योजित की गयी। रिट याचिका में मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 24.04.2015 को आदेश पारित किया गया, जिसका आपरेटिव अंश निम्नवत् है:-

Consequently, in the facts of the case, as pursuance to the order dated 12.11.2014 passed by this Court in the aforesaid writ petition, claim of the incumbent concerned has been examined by respondent no. 1 as is reflected from the order dated 27.03.2015, accordingly, we proceed to pass order asking the Principal Secretary, Department of Health and Family Welfare, State Government, respondent no. 1 to decide the representation moved on behalf of petitioner also by reasoned order preferably within two months from the date of presentation of certified copy of the order passed by this Court.

2- मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 24.04.2015 के समादर में डा० मुंशी लाल को उनके कनिष्ठ के सापेक्ष पदोन्नति पर विचार किये जाने हेतु दिनांक 14.10.2015 को रिव्यू विभागीय चयन समिति की बैठक आहूत की गई। चयन समिति द्वारा डा० मुंशी लाल को उनसे आसन्न कनिष्ठ के सापेक्ष नोशनल प्रोन्नति एवं कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित पदोन्नति की संस्तुति की गई है। अतः चयन समिति की संस्तुति के क्रम में डा० मुंशी लाल को उनसे आसन्न कनिष्ठ की प्रोन्नति की तिथि 19.08.2014 से वरिष्ठ चिकित्साधिकारी (वेतनमान रू० 15600-39100 ग्रेड-पे रू० 6600) के पद पर नोशनल प्रोन्नति एवं कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

अरविन्द नारायण मिश्र,  
सचिव।

संख्या-५७६८ (1)/पाँच-8-2015-तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ०प्र० इलाहाबाद।
2. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को रिट याचिका संख्या-23313/2015 में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.04.2015 के संदर्भ में।
3. महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ।
4. अपर निदेशक(कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ।
5. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़।
6. मुख्य चिकित्साधिकारी, आजमगढ़।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, आजमगढ़।
8. डा० मुंशी लाल चिकित्साधिकारी( द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी, आजमगढ़) रजिस्टर्ड डाक से।
9. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रकोष्ठ।

आज्ञा से,  
( शिवगोपाल सिंह )  
अनु सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन  
चिकित्सा अनुभाग-8  
संख्या- 4769 / पॉच-8-2015-रिट(50)/2015  
लखनऊ : दिनांक : 29 दिसम्बर, 2015  
कार्यालय-ज्ञाप

डा० संजीव कुमार(वरिष्ठता क्रमांक-12089क1) चिकित्साधिकारी प्राथ० स्वा० केन्द्र, मुजफ्फराबाद जनपद सहारनपुर द्वारा कनिष्ठ के सापेक्ष लेवल-2 के पद पर पदोन्नति करने हेतु मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या-23311/2015, डा० संजीव कुमार बनाम् उ०प्र० राज्य व अन्य योजित की गयी। रिट याचिका में मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 24.04.2015 को आदेश पारित किया गया, जिसका आपरेटिव अंश निम्नवत् है:-

Consequently, in the facts of the case, as pursuance to the order dated 12.11.2014 passed by this Court in the aforesaid writ petition, claim of the incumbent concerned has been examined by respondent no. 1 as is reflected from the order dated 27.03.2015, accordingly, we proceed to pass order asking the Principal Secretary, Department of Health and Family Welfare, State Government, respondent no. 1 to decide the representation moved on behalf of petitioner also by reasoned order preferably within two months from the date of presentation of certified copy of the order passed by this Court.

2-- मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 24.04.2015 के समादर में डा० संजीव कुमार को उनके कनिष्ठ के सापेक्ष पदोन्नति पर विचार किये जाने हेतु दिनांक 14.10.2015 को रिब्यू विभागीय चयन समिति की बैठक आहूत की गई। चयन समिति द्वारा डा० संजीव कुमार को उनसे आसन्न कनिष्ठ के सापेक्ष नोशनल प्रोन्नति एवं कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित पदोन्नति की संस्तुति की गई है। अतः चयन समिति की संस्तुति के कम में डा० संजीव कुमार को उनसे आसन्न कनिष्ठ की प्रोन्नति की तिथि 19.08.2014 से वरिष्ठ चिकित्साधिकारी (वेतनमान रू० 15600-39100 ग्रेड-पे रू० 6600) के पद पर नोशनल प्रोन्नति एवं कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

अरविन्द नारायण मिश्र,  
सचिव।

संख्या-4769 (1)/पॉच-8-2015-तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ०प्र० इलाहाबाद।
2. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को रिट याचिका संख्या-23311/2015 में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.04.2015 के संदर्भ में।
3. महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ।
4. अपर निदेशक(कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ।
5. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।
6. मुख्य चिकित्साधिकारी, सहारनपुर।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, सहारनपुर।
8. डा० संजीव कुमार चिकित्साधिकारी( द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी, सहारनपुर) रजिस्टर्ड डाक से।
9. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रकोष्ठ।

आज्ञा से,  
( शिवगोपाल सिंह )  
अनु सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-8

संख्या-4770/पॉच-8-2015-रिट(50)/2015

लखनऊ : दिनांक : 24 दिसम्बर, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

डा0 आलोक कुमार सिंह(वरिष्ठता क्रमांक-13596) प्रभारी चिकित्साधिकारी अतिरिक्त प्राथ0 स्वा0 केन्द्र, बाकी जनपद जौनपुर द्वारा कनिष्ठ के सापेक्ष लेवल-2 के पद पर पदोन्नति करने हेतु मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या-23315/2015, डा0 डा0 आलोक कुमार सिंह बनाम् उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित की गयी। रिट याचिका में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 24.04.2015 को आदेश पारित किया गया, जिसका आपरेटिव अंश निम्नवत् है:-

Consequently, in the facts of the case, as pursuance to the order dated 12.11.2014 passed by this Court in the aforesaid writ petition, claim of the incumbent concerned has been examined by respondent no. 1 as is reflected from the order dated 27.03.2015, accordingly, we proceed to pass order asking the Principal Secretary, Department of Health and Family Welfare, State Government, respondent no. 1 to decide the representation moved on behalf of petitioner also by reasoned order preferably within two months from the date of presentation of certified copy of the order passed by this Court.

2- मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 24.04.2015 के समादर में डा0 आलोक कुमार सिंह को उनके कनिष्ठ के सापेक्ष पदोन्नति पर विचार किये जाने हेतु दिनांक 14.10.2015 को रिव्यू विभागीय चयन समिति की बैठक आहूत की गई। चयन समिति द्वारा डा0 आलोक कुमार सिंह को उनसे आसन्न कनिष्ठ के सापेक्ष नोशनल प्रोन्नति एवं कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित पदोन्नति की संस्तुति की गई है। अतः चयन समिति की संस्तुति के क्रम में डा0 आलोक कुमार सिंह को उनसे आसन्न कनिष्ठ की प्रोन्नति की तिथि 19.08.2014 से वरिष्ठ चिकित्साधिकारी (वेतनमान रू0 15600-39100 ग्रेड-पे रू0 6600) के पद पर नोशनल प्रोन्नति एवं कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

अरविन्द नारायण मिश्र,  
सचिव।

संख्या-4770(1)/पॉच-8-2015-तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को रिट याचिका संख्या-23315/2015 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.04.2015 के संदर्भ में।
3. महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
4. अपर निदेशक(कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
5. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, वाराणसी मण्डल, वाराणसी।
6. मुख्य चिकित्साधिकारी, जौनपुर
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जौनपुर।
8. डा0 आलोक कुमार सिंह चिकित्साधिकारी(द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी, जौनपुर)रजिस्टर्ड डाक से
9. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रकोष्ठ।

आज्ञा से,

( शिवगोपाल सिंह )

अनु सचिव।

h

उत्तर प्रदेश शासन  
चिकित्सा अनुभाग-8  
संख्या-4771 / पाँच-8-2015-रिट(50)/2015  
लखनऊ : दिनांक : 29 दिसम्बर, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

डा0 वेद प्रकाश सिंह(वरिष्ठता क्रमांक-13704) चिकित्साधिकारी नवीन प्राथ0 स्वा0 केन्द्र, दर्शन नगर जनपद फैजाबाद द्वारा कनिष्ठ के सापेक्ष लेवल-2 के पद पर पदोन्नति करने हेतु मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ में रिट याचिका संख्या-800/2015 डा0 वेद प्रकाश सिंह बनाम् उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित की गयी। रिट याचिका में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28.05.2015 को आदेश पारित किया गया, जिसका आपरेटिव अंश निम्नवत् है:-

Learned counsel for the petitioner has submitted that the petitioner, for redressal of his grievance, has already represented to the Director General, Medical and Health Services, U.P., Lucknow/opposite party no.2, which is pending consideration. Petitioner's representation dated 21.10.2014 has been brought on record as Annexure-7 to the petition.

Since the petitioner's grievance is engaging attention of the opposite party no.3, we feel it appropriate to issue direction to the opposite party no.3 to take a decision therein within two months from the date of communication of this order.


2- मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28.05.2015 के समादर में डा0 वेद प्रकाश सिंह को उनके कनिष्ठ के सापेक्ष पदोन्नति पर विचार किये जाने हेतु दिनांक 14.10.2015 को रिव्यू विभागीय चयन समिति की बैठक आहूत की गई। चयन समिति द्वारा डा0 वेद प्रकाश सिंह को उनसे आसन्न कनिष्ठ के सापेक्ष नोशनल प्रोन्नति एवं कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित पदोन्नति की संस्तुति की गई है। अतः चयन समिति की संस्तुति के क्रम में डा0 वेद प्रकाश सिंह को उनसे आसन्न कनिष्ठ की प्रोन्नति की तिथि 19.08.2014 से वरिष्ठ चिकित्साधिकारी (वेतनमान रू0 15600-39100 ग्रेड-पे रू0 6600) के पद पर नोशनल प्रोन्नति एवं कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

अरविन्द नारायण मिश्र,  
सचिव।

संख्या-4771 (1)/पाँच-8-2015-तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ को रिट याचिका संख्या-800/2015 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.05.2015 के संदर्भ में।
3. महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
4. अपर निदेशक(कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
5. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद।
6. मुख्य चिकित्साधिकारी, फैजाबाद।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, फैजाबाद।
8. डा0 वेद प्रकाश सिंह चिकित्साधिकारी(द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी, फैजाबाद)रजिस्टर्ड डाक से
9. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रकोष्ठ।

आज्ञा से,  
  
( शिवगोपाल सिंह )  
अनु सचिव।  
h

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-8

संख्या- 4772/पॉच-8-2015-रिट(50)/2015

लखनऊ : दिनांक : 29 दिसम्बर, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

डा0 मो0 वसीम अख्तर (वरिष्ठता क्रमांक-13749) चिकित्साधिकारी सामु0 स्वा0 केन्द्र, जोया जनपद अमरोहा द्वारा कनिष्ठ के सापेक्ष लेवल-2 के पद पर पदोन्नति करने हेतु मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या-30641/2015 डा0 मो0 वसीम अख्तर बनाम् उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित की गयी। रिट याचिका में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 25.05.2015 को आदेश पारित किया गया, जिसका आपरेटिव अंश निम्नवत् है:-

Consequently, in the facts of the case, as pursuance to the order dated 12.11.2014 passed by this Court in the aforesaid writ petition, claim of the incumbent concerned has been examined by respondent no. 1 as is reflected from the order dated 27.03.2015, accordingly, we proceed to pass order asking the Principal Secretary, Department of Health and Family Welfare, State Government, respondent no. 1 to decide the representation moved on behalf of petitioner also by reasoned order preferably within two months from the date of presentation of certified copy of the order passed by this Court.

2- मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 25.05.2015 के समादर में डा0 मो0 वसीम अख्तर को उनके कनिष्ठ के सापेक्ष पदोन्नति पर विचार किये जाने हेतु दिनांक 14.10.2015 को रिव्यू विभागीय चयन समिति की बैठक आहूत की गई। चयन समिति द्वारा डा0 मो0 वसीम अख्तर को उनसे आसन्न कनिष्ठ के सापेक्ष नोशनल प्रोन्नति एवं कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित पदोन्नति की संस्तुति की गई है। अतः चयन समिति की संस्तुति के क्रम में डा0 मो0 वसीम अख्तर को उनसे आसन्न कनिष्ठ की प्रोन्नति की तिथि 19.08.2014 से वरिष्ठ चिकित्साधिकारी (वेतनमान रु0 15600-39100 ग्रेड-पे रु0 6600) के पद पर नोशनल प्रोन्नति एवं कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

अरविन्द नारायण मिश्र,

सचिव।

संख्या- 4772(1)/पॉच-8-2015-तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को रिट याचिका संख्या-30641/2015 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.05.2015 के संदर्भ में।
3. महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
4. अपर निदेशक(कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
5. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद।
6. मुख्य चिकित्साधिकारी, अमरोहा।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, अमरोहा।
8. डा0 मो0 वसीम अख्तर चिकित्साधिकारी(द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी, अमरोहा)रजिस्टर्ड डाक से
9. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रकोष्ठ।

आज्ञा से,

( शिवगोपाल सिंह )

अनु सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन  
चिकित्सा अनुभाग-8  
संख्या- 4773/पॉच-8-2015-रिट(50)/2015  
लखनऊ : दिनांक : 29 दिसम्बर, 2015  
कार्यालय-ज्ञाप

डा0 आमोल कुमार सिंह (वरिष्ठता क्रमांक-12694क) चिकित्साधिकारी सामु0 स्वा0 केन्द्र, धनौरा जनपद अमरोहा द्वारा कनिष्ठ के सापेक्ष लेवल-2 के पद पर पदोन्नति करने हेतु मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या-32546/2015 डा0 आमोल कुमार सिंह बनाम् उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित की गयी। रिट याचिका में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28.05.2015 को आदेश पारित किया गया, जिसका आपरेटिव अंश निम्नवत् है:-

Consequently, in the facts of the case, in pursuance to the order dated 12.11.2014 passed by this Court in the aforementioned writ petition, claim of the incumbent concerned has been examined by respondent no. 1, as is reflected from the order dated 27.03.2015, accordingly, we proceed to pass order asking the Principal Secretary, Department of Health and Family Welfare, State Government, respondent no. 1 to decide the representation moved on behalf of petitioner also by reasoned order preferably within two months from the date of presentation of certified copy of the order passed by this Court.

2- मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28.05.2015 के समादर में डा0 आमोल कुमार सिंह को उनके कनिष्ठ के सापेक्ष पदोन्नति पर विचार किये जाने हेतु दिनांक 14.10.2015 को विभागीय चयन समिति की बैठक आहूत की गई। चयन समिति द्वारा डा0 आमोल कुमार सिंह को उनसे आसन्न कनिष्ठ के सापेक्ष नोशनल प्रोन्नति एवं कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित पदोन्नति की संस्तुति की गई है। अतः चयन समिति की संस्तुति के क्रम में डा0 आमोल कुमार सिंह को उनसे आसन्न कनिष्ठ की प्रोन्नति की तिथि 19.08.2014 से वरिष्ठ चिकित्साधिकारी (वेतनमान रू0 15600-39100 ग्रेड-पे रू0 6600) के पद पर नोशनल प्रोन्नति एवं कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

अरविन्द नारायण मिश्र,  
सचिव।

संख्या-4773(1)/पॉच-8-2015-तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को रिट याचिका संख्या-32546/2015 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.05.2015 के संदर्भ में।
3. महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्यें, उ0प्र0, लखनऊ।
4. अपर निदेशक(कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्यें, उ0प्र0, लखनऊ।
5. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद।
6. मुख्य चिकित्साधिकारी, अमरोहा।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, अमरोहा।
8. डा0 आमोल कुमार सिंह चिकित्साधिकारी(द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी, अमरोहा)रजिस्टर्ड डाक से
9. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रकोष्ठ।

आज्ञा से,  
( शिवगोपाल सिंह )  
अनु सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन  
चिकित्सा अनुभाग-8  
संख्या- 4774 / पाँच-8-2015-रिट(50)/2015  
लखनऊ : दिनांक : 29 दिसम्बर, 2015  
कार्यालय-ज्ञाप

डा० विशाल त्रिवेदी (वरिष्ठता क्रमांक-12887क) चिकित्साधिकारी सामु० स्वा० केन्द्र, अमरोहा जनपद अमरोहा द्वारा कनिष्ठ के सापेक्ष लेवल-2 के पद पर पदोन्नति करने हेतु मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या-32545/2015 डा० विशाल त्रिवेदी बनाम् उ०प्र० राज्य व अन्य योजित की गयी। रिट याचिका में मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28.05.2015 को आदेश पारित किया गया, जिसका आपरेटिव अंश निम्नवत् है:-

Consequently, in the facts of the case, in pursuance to the order dated 12.11.2014 passed by this Court in the aforementioned writ petition, claim of the incumbent concerned has been examined by respondent no. 1, as is reflected from the order dated 27.03.2015, accordingly, we proceed to pass order asking the Principal Secretary, Department of Health and Family Welfare, State Government, respondent no. 1 to decide the representation moved on behalf of petitioner also by reasoned order preferably within two months from the date of presentation of certified copy of the order passed by this Court.

2- मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28.05.2015 के समादर में डा० विशाल त्रिवेदी को उनके कनिष्ठ के सापेक्ष पदोन्नति पर विचार किये जाने हेतु दिनांक 14.10.2015 को विभागीय चयन समिति की बैठक आहूत की गई। चयन समिति द्वारा डा० विशाल त्रिवेदी को उनसे आसन्न कनिष्ठ के सापेक्ष नोशनल प्रोन्नति एवं कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित पदोन्नति की संस्तुति की गई है। अतः चयन समिति की संस्तुति के क्रम में डा० विशाल त्रिवेदी को उनसे आसन्न कनिष्ठ की प्रोन्नति की तिथि 19.08.2014 से वरिष्ठ चिकित्साधिकारी (वेतनमान रु० 15600-39100 ग्रेड-पे रु० 6600) के पद पर नोशनल प्रोन्नति एवं कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

अरविन्द नारायण मिश्र,  
सचिव।

संख्या-4774(1)/पाँच-8-2015-तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ०प्र० इलाहाबाद।
2. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को रिट याचिका संख्या-32545/2015 में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.05.2015 के संदर्भ में।
3. महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ।
4. अपर निदेशक(कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ।
5. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद।
6. मुख्य चिकित्साधिकारी, अमरोहा।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, अमरोहा।
8. डा० विशाल त्रिवेदी चिकित्साधिकारी(द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी, अमरोहा)रजिस्टर्ड डाक से
9. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रकोष्ठ।

आज्ञा से,  
( शिवगोपाल सिंह )  
अनु सचिव।



उत्तर प्रदेश शासन  
चिकित्सा अनुभाग-8  
संख्या-4775/पॉच-8-2015-रिट(50)/2015  
लखनऊ : दिनांक : 29 दिसम्बर, 2015  
कार्यालय-ज्ञाप

डा० अरुण कुमार भारती (वरिष्ठता क्रमांक-13573) चिकित्साधिकारी सामु० स्वा० केन्द्र, मडियॉहू जनपद जौनपुर द्वारा कनिष्ठ के सापेक्ष लेवल-2 के पद पर पदोन्नति करने हेतु मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या-29206/2015 डा० अरुण कुमार भारती बनाम् उ०प्र० राज्य व अन्य योजित की गयी। रिट याचिका में मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 20.05.2015 को आदेश पारित किया गया, जिसका आपरेटिव अंश निम्नवत् है:-

Consequently, in the facts of the case, as pursuance to the order dated 12.11.2014 passed by this Court in the aforesaid writ petition, claim of the incumbent concerned has been examined by respondent no. 1 as is reflected from the order dated 27.03.2015, accordingly, we proceed to pass order asking the Principal Secretary, Department of Health and Family Welfare, State Government, respondent no. 1 to decide the representation moved on behalf of petitioner also by reasoned order preferably within two months from the date of presentation of certified copy of the order passed by this Court.

2- मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 20.05.2015 के समादर में डा० अरुण कुमार भारती को उनके कनिष्ठ के सापेक्ष पदोन्नति पर विचार किये जाने हेतु दिनांक 14.10.2015 को विभागीय चयन समिति की बैठक आहूत की गई। चयन समिति द्वारा डा० अरुण कुमार भारती को उनसे आसन्न कनिष्ठ के सापेक्ष नोशनल प्रोन्नति एवं कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित पदोन्नति की संस्तुति की गई है। अतः चयन समिति की संस्तुति के क्रम में डा० अरुण कुमार भारती को उनसे आसन्न कनिष्ठ की प्रोन्नति की तिथि 19.08.2014 से वरिष्ठ चिकित्साधिकारी (वेतनमान रु० 15600-39100 ग्रेड-पे रु० 6600) के पद पर नोशनल प्रोन्नति एवं कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

अरविन्द नारायण मिश्र,  
सचिव।

संख्या-4775(1)/पॉच-8-2015-तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ०प्र० इलाहाबाद।
2. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को रिट याचिका संख्या-29206/2015 में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.05.2015 के संदर्भ में।
3. महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ।
4. अपर निदेशक(कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ।
5. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, वाराणसी मण्डल, वाराणसी।
6. मुख्य चिकित्साधिकारी, जौनपुर।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जौनपुर।
8. डा० अरुण कुमार भारती चिकित्साधिकारी(द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी, जौनपुर)रजिस्टर्ड डाक से
9. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रकोष्ठ।

आज्ञा से,  
( शिवगोपाल सिंह )  
अनु सचिव।